हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

तेरहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 127

बुधवार, 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 1938(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

सदन की बैठक प्रारम्भ होते ही विपक्ष के सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह ने व्यवस्था का प्रश्न / चर्चा के अन्दर सभी पार्टिसिपेट करें। उसमें किसी को रोका नहीं जा सकता। इसलिए हमारा विनम्र आग्रह है, अध्यक्ष महोदय, हम आपको हाऊस चलाने के लिए सहयोग देने को तैयार हैं लेकिन हम आपसे शैल्टर चाहते हैं।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित निर्णय दिया :-

"मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं और माननीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने भी कल यह प्रश्न उठाया था कि इसमें एक चर्चा है लेकिन मैंने इनको कहा था कि यह सब्जैक्ट एक नहीं है, ये दो सब्जैक्टस हैं। आपका नोटबंदी को कड़ाई से लागू करके प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोकने का विषय है और श्री संजय रतन, सदस्य का नोटबन्दी से प्रदेश की जनता को हो रही असुविधा का विषय है।"

(माननीय अध्यक्ष के निर्णय से असन्तुष्ट विपक्ष के माननीय सदस्य नारे लगाते हुए अध्यक्ष महोदय के आसन के पास इकट्ठे हो गए।)

11.40 AM

1. **प्रश्नोत्तर :**

(i) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्या 3570, 3572, 3574, 3575, 3578, 3580 तथा 3584 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिये गये। सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 3351, 3385, 3408 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 3568, 3569, 3571, 3573, 3576, 3577, 3579, 3581 से 3583 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गये। तारांकित प्रश्न संख्या 3585 से 3604 तक के उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा दिये गये समझे गये।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 1420, 1445 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 1512 से 1519 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर**ः

सचिव, विधान सभा ने निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैः-

(i) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक 2016 ,(11 का अधिनियम संख्यांक 2016);

(ii) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2016 ,(2016 12 का अधिनियम संख्यांक);

(iii) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2016 ,(2016 13 का अधिनियम संख्यांक);

(iv) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2016 ,(का अधिनियम 2016 14 संख्यांक);

(v) हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) द्वितीय संशोधन विधेयक 2016 ,(का अधिनियम 2016 संख्यांक 15);

(vi) हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक 2016 , (16 का अधिनियम संख्यांक 2016);

(vii) हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन विधेयक 2016 ,(का अधिनियम 2016 17 संख्यांक); और

(viii) हिमाचल प्रदेश कृषि औद्यानिकी और विश्वविद्यालय , (संशोधन) विधेयक 2015 ,(18 का अधिनियम संख्यांक 2016) ।

3. **कागज़ात सभा पटल परः**

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर (कार्य संचालन नियम और प्रक्रिया) द्वितीय संशोधन नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःपर(एपी-बी)डी(3)-4/2001-III दिनांक 15.9.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.9.2016 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक(सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III(अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः पीईआर(एपी-बी) बी(1)-1/2012 दिनांक 5.10.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 6.10.2016 को प्रकाशित;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन(मैम्बरज़)(पच्चीसवां संशोधन) रेगुलेशनज़, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःपर(एपी-बी)ए(3)-11/2013 दिनांक 30.4.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 3.5.2016 को प्रकाशित;

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, उप-सचिव, गैर-हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, वर्ग-I(राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः पर(एपी-बी) ए(3)-15/2013 दिनांक 19.7.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.07.2016 को प्रकाशित;

(v) हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002(2002 का अधिनियम संख्याक 15) की धारा 64 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश रीवर राफ्टिंग (संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः टी.एस.एम.-ए(3)-8/2015 दिनांक 29.10.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 3.11.2016 को प्रकाशित;

(vi) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 29(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के संकलित वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित);

(vii) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 37(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित) ;

(viii) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 37(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित) ;

(ix) हिमाचल प्रदेश संरचना विकास अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य संरचना विकास बोर्ड, शिमला का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16;

(x) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य संरचना विकास निगम सीमित, शिमला का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16; और

(xi) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 ।

(2) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबन्धन उत्तरदायित्व अधिनियम, 2014 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबन्धन उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःएम0पी0पी0-ए(3)-2/2013-I दिनांक 18.7.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.7.2016 को प्रकाशित; और

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 395 के अन्तर्गत सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 ।

(3) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री द्वारा प्राधिकृत श्री धनी राम शांडिल, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूची-'क' और 'ख' में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(10)-5/2015 दिनांक 24.2.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.3.2016 को प्रकाशित;

(ii) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(10)-3/2014 दिनांक 25.2.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.03.2016 को प्रकाशित;

(iii) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की अनुसूचि-2 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(10)-25/2014-लूज़ दिनांक 09.3.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.3.2016 को प्रकाशित;

(iv) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन)नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(10)-7/2011-वोल्यूम-I दिनांक 28.3.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.3.2016 को प्रकाशित;

(v) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की अनुसूची-2 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(10)-14/2014 दिनांक 19.4.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.4.2016 को प्रकाशित;

(vi) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूची-'ख' में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(10)-20/2014 दिनांक 11.8.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.08.2016 को प्रकाशित;

(vii) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की अनुसूची-2 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(10)-13/2016 दिनांक 20.8.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.8.2016 को प्रकाशित;

(viii) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-'क' और 'ख' में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(10)-5/2015 दिनांक 01.10.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.10.2016 को प्रकाशित;

(ix) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (3) और (4) के अन्तर्गत सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश) संशोधन रूल्ज़, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-

एफ(1)-3/2012 दिनांक 17.11.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.11.2016 को प्रकाशित; और

(x) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूची-'क' में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(10)-20/2014 दिनांक 17.11.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2016 को प्रकाशित।

4. **अध्यादेशः**

(i) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री द्वारा प्राधिकृत श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मंत्री ने** भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 01.10.2016 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक 4) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखी।

(ii) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री द्वारा प्राधिकृत श्री धनीराम शांडिल, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने** भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1)के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 06.09.2016 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक 3) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखी।

5. **सदन की समितियों के प्रतिवेदन :**

(1) **श्री अजय महाजन, सदस्य, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17) ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का **155वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11(राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **156वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **157वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 135वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **श्रम एवं रोजगार विभाग** से सम्बन्धित है;

(iv) समिति का **158वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 139वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **श्रम एवं रोजगार विभाग** से सम्बन्धित है;

(v) समिति का **159वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 140वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **श्रम एवं रोजगार विभाग** से सम्बन्धित है; और

(vi) समिति का **160वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 35वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वित्त विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2016-17) ने** समिति का **29वां मूल प्रतिवेदन** जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित मकान निर्माण हेतु अनुदान योजना की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(3) **श्री राकेश कालिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति,** (वर्ष 2016-17) **ने** समिति का **27वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **सामान्य प्रशासन विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(4) **श्री अजय महाजन, सदस्य सामान्य विकास समिति,** (वर्ष 2016-17) **ने** समिति का **19वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

6. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः

नियम-62 के अन्तर्गत श्री महेश्वर सिंह व श्री जय राम ठाकुर के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चर्चा के लिए रखे गये थे लेकिन दोनों माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण उनको सदन में प्रस्तुतिकरण हेतु नहीं लिया गया।

7. **विधायी कार्य :**

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया** कि हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण(विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण(विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22) पुरः स्थापित हुआ।

(ii) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 23) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई ।

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 23) पुरःस्थापित हुआ।

(iii) **श्री सुधीर शर्मा,शहरी विकास मन्त्री द्वारा प्राधिकृत श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मंत्री ने** प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 21) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 21) पुरः स्थापित हुआ।

(iv) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री द्वारा प्राधिकृत श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 24) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 24) पुरःस्थापित हुआ।

(v) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री द्वारा प्राधिकृत श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016(2016 का विधेयक संख्यांक 25) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 25) पुरःस्थापित हुआ।

8. **<u>नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :</u>**

(1) **श्री राकेश कालिया (42-गगरेट)** माननीय सदस्य की ओर से नियम-324 के अन्तर्गत विषय उठाए गए समझे गये तथा सम्बन्धित मन्त्रियों द्वारा उनके दिए गए समझे गए।

(12.20 बजे अपराह्न विपक्ष के शोरगुल व नारेबाजी के दौरान सदन की बैठक 12.50 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई।)

सदन की बैठक पुनः आरम्भ होने के ठीक पहले श्री सुरेश भारद्वाज, सदस्य अध्यक्ष के आसन पर बैठ गए तथा कहा, This House is Adjourned for the day. तत्पश्चात् विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए 12.50 बजे अपराह्न सदन से वाकआऊट किया।

(12.51 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

9. **<u>नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव</u> :**

1. **श्री संजय रतन, सदस्य** ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की :-

"दिनांक 8 नवम्बर, 2016 को केन्द्र सरकार द्वारा की गई नोटबन्दी से प्रदेश की जनता को हो रही असुविधा बारे ।"

निम्नलिखित ने चर्चा ने भाग लिया :-

(1) **श्री अजय महाजन**
(2) **श्री मोहन लाल ब्राक्टा**
(3) **श्री कुलदीप कुमार**

(4) **श्री राम कुमार**

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

2. नियम 130 के अन्तर्गत चर्चा के लिए दूसरा प्रस्ताव श्री महेन्द्र सिंह का रखा गया था लेकिन माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण उसे प्रस्तुतिकरण हेतु नहीं लिया गया।

नियम-319 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री मुकेश अग्निहोत्री , संसदीय कार्य मंत्री ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-319 के अनुसरण में प्रस्ताव किया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सर्वश्री सुरेश भारद्वाज, रणधीर शर्मा तथा डॉ0 राजीव बिन्दल को सदन तथा अध्यक्षपीठ की घोर अवमानना के लिए सत्र की शेष अवधि तक सभा की सेवा से निलम्बित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

(सांय 3.00 बजे सदन की बैठक वीरवार, 22 दिसम्बर, 2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।)